बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 367117 पटना, दिनांक 26/04/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना को बंद करने के लिए सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के साथ हीं सभी निर्माणाधीन एवं पूर्ण किये गये आवासों को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सभी निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही सभी निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों को दिनांक 31.03.18 तक आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने का संसूचित निर्णय के आलोक में कतिपय विभागीय निदेश पत्रों के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था । उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों के साथ ही जिलों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी प्रगति की गहन समीक्षा की जाती रही है तथा इसके महत्व से अवगत कराया जाता रहा है । विभागीय पत्र संख्या-153196 दिनांक-09.02.18 द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराते हुए यह भी स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 31.03.18 तक सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण नहीं होने की स्थिति में असफल रहने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा किन्तु इस संबंध में भी कार्रवाई की सूचना विभाग को नहीं है । इसी संदर्भ में विभागीय पत्र संख्या-344587 दिनांक-22.12.17 द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2015-16 तक की अवधि के पूर्ण/निर्माणाधीन इंदिरा आवासों की विवरणी विहित प्रपत्र में मांगी गयी थी । किन्तु विभागीय पत्र संख्या-356320 दिनांक-23.02.18 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी अबतक मात्र सारण एवं वैशाली जिला से हीं प्रेतिवेदन प्राप्त हो सके हैं ।

जिलों से प्राप्त हो रही सूचनाओं से विदित होता है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों के लाभार्थियों के द्वितीय किस्त का भुगतान लंबित रहने के कारण उनके आवास भौतिक रूप से अपूर्ण स्थिति में हैं । इसे दृष्टिपथ रखते हुए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास सॉफ्ट पर वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2014-15 तक की अवधि में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त एवं सम्प्रति निर्माणाधीन आवास वाले सभी लाभुकों के डाटा इंट्री हेतु

single page entry link, data entry at Gram Panchayat Section में प्रावधान किया गया है । इस module के माध्यम से वैसे सभी लाभुक जिन्हें पूर्व में सहायता राशि का भुगतान किया गया है का data entry एवं उनके देय एवं लंबित सहायता राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा सकेगा । single page entry module की क्रियाविधि पत्र के साथ संलग्न है । इस module के माध्यम से दिनांक 15 मई 2018 तक सभी लाभुकों का data entry कराते हुए विभाग को अवगत कराया जाय ताकि लाभार्थियों की लंबित किस्त की सहायता राशि के भुगतान हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जा सके ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त के संदर्भ में कार्य योजना बनाकर सभी कार्रवाईयॉ सुनिश्चित करायी जाय, ताकि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कोई निर्माणाधीन आवास वाले लाभुक देय एवं लंबित सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएँ और इस कारण से उनका आवास अपूर्ण नहीं रहे । यदि इस प्रक्रिया से वंचित रहने के कारण किसी लाभुक का पावना का मामला भविष्य में प्रकाश में आता है तो इसके लिए संबंधित उप विकास आयुक्त व प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिम्मेवार माने जाएँगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

26/4/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 367117 पटना, दिनांक 26/04/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/4/2018

सरकार के सचिव

Single Page Entry Module

Single Page Entry Module, Block Login में दिया गया है। Block Login करने के पश्चात Data Entry at Gram Panchayat segment के Beneficiary Data Entry में Add/Edit Old IAY Beneficiary (New) Link दिया गया है।

Beneficiary Details

1. Add/Edit Old IAY Beneficiary (New) Link को क्लिक किया जायेगा।
2. इस Window में Block, Panchayat, Village को Drop Down Box से Select जायेगा।
3. Enter Beneficiary Name के Drop Down Box में Add New Beneficiary Select किया जायेगा।
4. Add New Beneficiary Select करने के पश्चात् लाभार्थी के विवरण यथा, Beneficiary Name, Father/Husband Name, Gender, minority, Category, BPL Family Id No. की इन्ट्री की जायेगी। इस लिंक के माध्यम से केवल ऐसे लाभार्थियों की इन्ट्री की जायेगी जिनका पंजीकरण आवास सॉफ्ट पर नहीं किया गया है।

Sanction Details

1. इस Page में लाभुक की स्वीकृति संख्या एवं स्वीकृति की तिथि की Entry की जायेगी।
2. Sanction Year Drop Down Box मे 1996-97 से 2014-15 तक के वित्तीय वर्ष को Select करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष के अनुसार निर्धारित प्रति ईकाई सहायता राशि स्वत: Unit Assistance मे प्रदर्शित होगी।
3. तत्पश्चात Release Amount के कॉलम में पूर्व में दी गयी कुल राशि की एकमुश्त Entry की जायेगी, यथा स्वीकृति का वर्ष अगर 2009-10 Select किया जाता है तो उस साल का Unit Assistance स्वत: 35000/- प्रदर्शित होगा तथा Released Amount में पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि अगर 25000/- रूपये दी गयी है तो 25000/- रूपये की इन्ट्री करने के पश्चात Pending Amount 5000/- स्वत: प्रदर्शित होगा।
4. Released Amount कॉलम में Do you want to change Amount का Option दिया गया है, यह Option पूर्व से पंजीकृत लाभार्थियों के लिए है यथा, वित्तीय वर्ष 2014-15 का पंजीकृत लाभार्थी जिसे Beneficiary Details Section से Select Beneficiary Drop Down Box के माध्यम से Select किया गया है, के लम्बित राशि के भुगतान में अगर परिवर्तन है तो Yes Button को Select करते हुए Released Amount मे परिवर्तन किया जा सकेगा तथा परिवर्तित रशि के अनुसार ही Pending Amount प्रदर्शित होगा जिसका बाद में Order Sheet बनेगा।

5. लाभुक को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित विवरण यथा, Passbook Statement एवं संबंधित प्रखण्ड से निर्गत Advise की प्रति Jpg, Jpeg, png, gif File में अपलोड की जायेगी।
6. Is House Completed Drop Down Box से लाभुक के आवास की पूर्णता प्रदर्शित की जायेगी। अगर लाभुक का आवास पूर्ण है तो Yes Select किया जायेगा एवं अर्पूण है तो No Select किया जायेगा। इन सभी आवासों का Inspection Aawaas App. के माध्यम से किया जायेगा। अगर आवास को Drop Down Box से Yes Select किया जायेगा तो भी इसे Aawaas App के माध्यम से Inspection करते हुए पूर्ण प्रदर्शित कराया जायेगा।

Bank Details:-

1. इस Page में लाभुक का Bank Account Detail की Entry की जायेगी।
2. Drop Down box से Bank Type, Bank Name, IFSC Code एवं Account No. की Entry की जायेगी। वैसे लाभुक जिनका पंजीकरण नये सिरे से किया जा रहा है, उनके Active Account की Entry की जायेगी न कि पुराने Account जिस पर प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।
3. Account Holder Name के Drop Down Box में Account Holder के नाम में परिवर्तन के लिये Do you want to change the Account Holder Name को Yes करने पर लाभुक के नाम में सुधार किया जा सकेगा। लाभुक का नाम उसके पासबुक पर अंकित नाम के अनुसार अंग्रेजी में हीं अक्षरश: Enter किया जायेगा। यह सुविधा पूर्व से पंजीकृत लाभुक, जो Drop Down Box में प्रदर्शित हो रहे हैं, के लिए है।

उपर्युक्त तीनों Segment की Entry करने के पश्चात Submit Button Click किया जायेगा। Submit Button Click करने के बाद लाभुक की Entry Awaas Soft पर हो जायेगी। इसी प्रकार से सभी लाभुकों की Entry कराने के पश्चात् संबंधित जिला द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर Order Sheet Window खोले जाने का अनुरोध किया जायेगा।